

Re: Section Head
Issued By Speed Post
16/11/12

By Speed Post

No.24013 /07/2012-ATC
Government of India
Ministry of Home Affairs
Anti-Trafficking Cell

New Delhi, the 15th November, 2012

To

The Public Information Officer,
O/o Commissioner of Police,
Delhi Police, PIHQ,
Delhi.

PB No - (2) 16/11/12

16 NOV 2012

Subject: Application under RTI Act, 2005-regarding investigation into the allegations of a minor regarding sexual exploitation.- Transfer thereof.

Sir,

I am directed to transfer herewith an application dated 25.10.2012 (received in this Ministry by this CPIO on 30.10.2012) from Shri Gopal Kansara seeking information under RTI Act, 2005 on the subject mentioned above.

2. As the desired information fall under the jurisdiction of the Delhi Police, accordingly application is transferred to you under Rule 6(3) of the RTI Act for necessary action. It is requested that information may be provided to the applicant directly.

3. The prescribed application fee of Rs. 10/- has been received in this Ministry by way of IPO vide receipt No. 22559 dated 19.10.2012.

OK


Yours faithfully,

(Dr. (Smt). Praveen Kumari Singh)
Director (SR)

Copy to:

- 1. ✓ Shri Gopal Kansara, S/o Late Sh. Udaylalji, Subhash Marg, Narainji ka Seria, P.O. Devgarh, Madaria-313331, Distt. Rajsamand, Rajasthan. By Speed Post on 16/11/12
- 2. ✓ Shri J.S. Chadha, DS, MHA, North Block, w.r.t. their OM No. A-43020/01/2012-RTI dated 25.10.2012.

PB No. (2) 16/11/12



सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र का प्रारूप ::

Dy No. 5209/2012-RTI

23/10/2012

कार्यालय का भार साधक / अधिकारी श्रीमान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी जी

केन्द्रीय गृह मन्त्रालय, नई-दिल्ली

कार्यालय

गृह मन्त्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi
17-OCT-2012
के.रो सं. 141992
एक सं.

1. आवेदक का पूरा नाम : GOPAL KANSARA (R.T.I. ACTIVIST)

2. आवेदक का पूरा पता : S/O LATE SH. UDAILALJI P.O. DEOGARH MADARIYA-313331 DISTT- RAJSAMAND (Raj.)

3. सूचना की प्रविष्टियाँ :

1. उस विभाग का नाम : केन्द्रीय गृह मन्त्रालय, भारत - सरकार, नई-दिल्ली

2. उस कार्यालय का सम्बन्धित : पुलिस विभाग, जिससे सूचना सम्बन्धित है

3. सूचना की प्रकृति : संलग्न पंजाब केसरी ता. 1-1-12 विविधा, "देह व्यापार माम में नाजालिंग के आरोप की पुलिस करेगी जांच" की प्रति

4. क्या फीस के संदाय संलग्न कर दिया है। हाँ / नहीं पुनर्वाच हेतु उपलब्ध कराई गई

I.P.O. No. 456907

आर्थिक, सामाजिक, मेडिकल साक्षर

मैं यह कथन करता हूँ कि चाही गयी सूचना अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्विष्ट निबन्धन के अन्तर्गत नहीं आता है।

DIT (R)
WCD

स्थान : देवगांव - मडारिया

दिनांक : 8/10/12

Gopal Kansara
GOPAL KANSARA (R.T.I. ACTIVIST)
S/O LATE SH. UDAILALJI P.O. DEOGARH MADARIYA-313331 DISTT- RAJSAMAND (Raj.)

सभी प्रकार के फॉर्मर्स मिलने का एक मात्र स्थान यतीन्द्र साहित्य सदन, सेशन कोर्ट के सामने, भीलवाड़ा (राज.)



विज्ञापन

1 अक्टूबर, 2012
पटना केमरी, जयपुर

पूर्व से परिचय तक, जयपुर से दक्षिण तक : Price Rs. 3.00 (₹)

देह व्यापार मातंग में नवजातियों के आरोप वीपुलित करने का

नई दिल्ली (आभा) : राष्ट्रीय राजधानी की एक अत्यांत ने गुलिस को एक नाबालिग लड़की के उस आरोप को बाद करने दिवस दिया है, जिसके रहत उसने अपना अपहरण कर लिये जाने और अपने नियोजकोंओं द्वारा देह व्यापार के लिए मजबूर किया जाने की बात कही थी। नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि उसका धीन शोषण किया गया और उसे देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया। यह नाबालिग लड़की नैकरानी का नाम करती थी। वह अपने नियोजकों रानी नाबालिग बेटे का अपहरण करने और उसे बंधक बना कर रखने के मापले में सह आरोपी है।

निवेश के फंसले को वापस लेने के लिए कहे करना वह पहली बार सरकार के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजाया है।